

# रैगिंग विरोधी सप्ताह 12 से 18 अगस्त, 2024



रैगिंग को 'ना' कहें,  
रैगिंग का समर्थन न करें,  
बल्कि उसकी सूचना दें।



कॉलेज/विभाग/  
छात्रावास/संस्थान/  
दिल्ली विश्वविद्यालय  
प्रणाली के किसी भी  
भाग के परिसर में किसी  
भी रूप में रैगिंग सख्ती  
से प्रतिबंधित है।

आपराधिक अधिनियम के लिए अभियोजन:

- डिग्री रद्द करना
- निलंबन
- निष्कासन
- परीक्षा परिणाम रोकना
- दाखिला रद्द करना
- कक्षा/परीक्षा से वंचित करना

सूचित करें:

- लिखित शिकायत, शिकायत पेट्टी में डालें
- निकटतम पीसीआर वैन से संपर्क करें
- एंटी-रैगिंग / हिम्मत ऐप का प्रयोग करें
- ईमेल: [proctor@du.ac.in](mailto:proctor@du.ac.in)  
[helpline@antiragging.in](mailto:helpline@antiragging.in)

## संपर्क

यूजीसी निगरानी  
प्रकोष्ठ, युवा केन्द्र :  
9818044577

011-2381 8614

011-2766 7221

011-2411 9832

1800-180 5522

112

8750870128

पुलिस नियंत्रण कक्ष (उत्तरी जिला)

संयुक्त नियंत्रण कक्ष (उत्तरी परिसर, दि. वि.)

संयुक्त नियंत्रण कक्ष (दक्षिण परिसर, दि. वि.)

यूजीसी रैगिंग रोकथाम सहायता प्रकोष्ठ (टोल-फ्री 24x7)

पुलिस

कैम्पस सुरक्षा वाहन (एसएचओ, मौरिस नगर)

(वामिका)

कुलानुशासक कार्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय  
सम्मेलन केंद्र, प्रथम तल, दिल्ली-110007